भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 911

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग

911. श्री रंजीत दत्ता:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में बैहाटा चरियाली से मिशन चरियाली तक और गोहपुर से उत्तरी लखीमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्से बहुत ही खराब स्थिति में हैं और उनमें कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सड़क के ये हिस्से दैनिक यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं और खराब रखरखाव के कारण दुर्घटना-प्रवण हो गए हैं, जिससे स्थानीय आबादी की सुरक्षा और हित में तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन हिस्सों की समयबद्ध तरीके से मरम्मत और उन्नयन के लिए कोई योजना या प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और उसके लिए किए गए बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) असम में बैहाटा चरियाली से मिशन चरियाली तक और गोहपुर से उत्तरी लखीमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों को हाल ही में भारत के राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 30.05.2025, के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को सौंप दिया गया है। हालाँकि, इन हिस्सों को राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा अभी भौतिक रूप से एनएचआईडीसीएल को सौंपा जाना शेष है।

राज्य लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि बैहाटा चरियाली से मिशन चरियाली (किमी 0.000 से किमी 134.500) तक के खंड में कई स्थानों पर गड्ढे हो गए थे, जिन्हें 2024-25 के दौरान किए गए अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से ठीक कर दिया गया था। जहां तक गोहपुर से उत्तरी लखीमपुर तक के खंड का सवाल है, 2024 के मानसून के दौरान विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा

और भूस्खलन के कारण गड्ढे हो गए थे। ये खंड उस समय डीएलपी (दोष देयता अवधि) के अंतर्गत नहीं थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए, निष्पादन-आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) मोड के तहत दो रखरखाव कार्यों को मंजूरी दी गई है और कार्य क्रमशः 18.12.2024 और 17.06.2025 को आवंटित किए गए थे, जो अगले पांच वर्षों के लिए इन सड़क खंडों का रखरखाव सुनिश्चित करेंगे।

बलहाटा चरियाली से मिशन चरियाली तक के खंड को चार लेन का बनाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) फर्म को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, गोहपुर से लखीमपुर तक के खंड में परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) फर्म को नियुक्त करने के लिए भी बोलियाँ आमंत्रित की गई हैं, जिसके लिए बोलियाँ प्राप्त हो चुकी हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और एक जिम्मेदार रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर) सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है। सरकार की योजना है कि निम्नलिखित में से किसी एक तंत्र के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का रखरखाव किया जाए:

i. राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों का रखरखाव और मरम्मत (एम एंड आर), जहां विकास कार्य शुरू हो चुके हैं या संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण (ओएमटी) रियायतें/ संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) अनुबंध सौंपे गए हैं, दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राहियों/संविदाकारों की जिम्मेदारी है।

ii. राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए, सरकार ने प्रदर्शन-आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है। एसटीएमसी कार्य सामान्यतः 1-2 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं, जबकि पीबीएमसी कार्य लगभग 5-7 वर्ष की अनुबंध अवधि के लिए किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, सड़कों की स्थिति का आकलन करने, रखरखाव या उन्नयन की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजमार्ग सुरक्षित, सुगम्य और सुव्यवस्थित बने रहें, नियमित रूप से सड़कों का निरीक्षण किया जाता है।

*****